

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 12/75/2025 रजि० नं० 2026/263 प्रवेश तिथि 12.05.2025 निर्णय दिनांक 11.06.2026

1- खुर्शीद पुत्र शोला जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) अपीलान्त

बनाम

1- सरकार जयें तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 34/2024 निर्णय दिनांक 16.04.2025

उपस्थित-

01. श्री सतीश कुमार शर्मा
02. विभागीय प्रतिनिधी

वकील अपीलान्त उपस्थित
रेस्पॉडेन्ट उपस्थित

—:निर्णय:-

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 34/2024 निर्णय दिनांक 16.04.2025 जिसके द्वारा वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास की आराजी खसरा 1019 रकबा 6.96 है० किस्म बंजड भूमि में से रकबा 0.15 है० भूमि पर गैहूँ की फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण किये जाने/पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध मौके से बैदखली/पैलन्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास की आराजी खसरा 1019 रकबा 6.96 है० किस्म बंजड भूमि में से रकबा 0.15 है० भूमि पर गैहूँ की फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण किये जाने तथा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती माना जाकर अतिक्रमी के विरुद्ध मौके से बैदखली/पैलन्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जबकि तहत अदालत द्वारा मौके की स्थिति का किसी भी प्रकार निरीक्षण नहीं किया गया है, और बेजा रूप से कयास के आधार पर अपीलान्त का कब्जा मानते हुए निर्णित पारित किया गया है। वास्तविकता यह है, कि अपीलान्त ने आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली में ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया है, जिससे यह तार्किकता हो कि अपीलान्त ने आराजी पर कब्जा किया है। तहत अदालत ने मात्र कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त का कब्जा मानते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिससे तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय सन्देह की दृष्टि में आता है। अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील अपीलान्त ने मुख्य कथन किया है, अपीलान्त द्वारा कोई अतिक्रमण किसी सरकारी भूमि पर नहीं किया गया है, तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का कोलगांव द्वारा अतिक्रमी खुर्शीद पुत्र शोला जाति मेव साकिन देह के विरुद्ध दिनांक 14.11.2024 को अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश कर संवत् 2081 में आराजी खसरा न० 1019 रकबा 6.96 है० किस्म बंजड भूमि में से रकबा 0.15 है० भूमि पर गैहूँ की फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण किये जाने तथा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने बाबत पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के


जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को जर्ने नोटिस तलब किया गया। जारी नोटिस की विधिवत तामील होकर प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गयी अतिक्रमी बावजूद सूचना के तहत अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में मौके की रिपोर्ट तलब की गयी मुताबिक रिपोर्ट जमाबन्दी संम्बत 2076-79 की खाता संख्या 1 के खसरा न0 1019 रकबा 6.96 है0 किस्म बंजड सिवायचक दर्ज है, उक्त खसरा न0 1019 रकबा 0.15 है0 रकबे पर खुर्शीद पुत्र शोला द्वारा संम्बत 2081 में गैहूँ की फसल काश्त की हुई थी, लेकिन दिनांक 20.04.2026 के मौका जाँच करने पर अतिक्रमित रकबा खाली होना बताया है, इससे स्पष्ट है, कि अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया गया जिसके फलस्वरूप विधिवत कार्यवाही की गयी, अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास प्रकरण संख्या 34/2024 उनवान सरकार जर्ने पटवारी हल्का कोलगांव बनाम खुर्शीद में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2025 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला क्लर्क
खैरथल-तिजारा (राज0)
खैरथल-तिजारा